# सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान

## (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

**बरवा रोड, धनबाद-826001 (झारखंड)**

**(वेबसाइट: www.cimfr.res.in)**

## विज्ञापन सं. :- CIMFR- _02/ 2026

| | |
|---|---|
| **ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :** | **20-05-2026 प्रातः 10:00 बजे** |
| **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:** | **19-06-2026 सायं 05:00 बजे** |

**सीएसआईआर-सिम्फर लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करने वाला कार्यबल विकसित करने के लिए प्रयासरत है तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।**

सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), धनबाद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), नई दिल्ली के तत्वावधान में एक अंगीभूत प्रयोगशाला है, जो अन्वेषण, खनन एवं उपयोगिता को शामिल करते हुए सम्पूर्ण कोयला आधारित ऊर्जा श्रृंखला में अनुसंधान एवं विकास इनपुट प्रदान करता है। उक्त प्रयोगशाला सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वच्छ परिवेश के उच्च मानकों के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा एवं वृद्धि हेतु लक्षित उत्पादन तक पहुँचने के लिए खनिज आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए राष्ट्रीय मिशनों को ध्यान में रखते हुए सीएसआईआर-सिम्फर ने अपनी दृष्टि, मिशन और नीतियों में परिवर्तन और साथ ही अल्प तथा दीर्घ काल के लिए लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया है। यह आत्मनिर्भरता पर समान जोर देते हुए द्रुत संधारणीय राष्ट्रीय तकनीकी-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। सीएसआईआर-सीआईएमएफआर झारखंड राज्यांतर्गत धनबाद शहर में स्थित है, जो भारत की कोयला राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। देश के पूर्वी भाग के दामोदर बेसिन में स्थित यह शहर समृद्ध कोयला निक्षेपों से संपन्न है और यहाँ खनिजों से संबंधित कई बड़े उद्योग मौजूद हैं।

यह संस्थान धनबाद (डिगवाडीह एवं बरवा रोड परिसर) (झारखंड) तथा अपने अनुसंधान केंद्रों-बिलासपुर (छत्तीसगढ़), नागपुर (महाराष्ट्र), रांची (झारखंड), रुड़की (उत्तराखंड) एवं रानीगंज (पश्चिम बंगाल) के लिए विभिन्न ट्रेडों में गतिशील एवं रचनात्मक तकनीशियनों की तलाश कर रहा है। शैक्षणिक योग्यता, आयु आदि मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www.cimfr.res.in पर निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सीएसआईआर–सीआईएमएफआर निम्नलिखित पदों के लिए योग्यता रखने वाले, गतिशील, परिणामोन्मुख एवं समर्पित भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

| **पद** | **पदों की संख्या एवं आरक्षण** | **7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार वेतनमान** | **कुल परिलब्धियाँ (7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)** | **(विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार) ऊपरी आयु सीमा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए** |
|---|---|---|---|---|
| तकनीशियन-1 ग्रुप- II (1) | 30 (पीडब्लूबीडी: 02 एवं ईएसएम: 03 सहित) {अनारक्षित: 10, ईडब्लूएस: 05, अ.पि.व.: 02, अ.जा.: 02, अ.ज.जा.: 11, पीडब्लूबीडी: 02 (एक कम सुनने वाले और एक कम दृष्टि के साथ दृष्टिबाधित व्यक्ति) एवं ईएसएम: 03} | लेवल-2 (रु०- 19,900-63,200) | रु० 37,000/ -* प्रतिमाह* [लगभग] | 28 वर्ष** |

* कुल परिलब्धियाँ से आशय वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर, धनबाद में लागू गृह किराया भत्ता सहित, प्रति माह देय अनुमानित कुल परिलब्धियों से है।

** आयु सीमा एवं छूट कॉलम के अंतर्गत आयु में छूट का विवरण देखें।

प्रयुक्त संक्षिप्त रूप: अना. – अनारक्षित/ सामान्य, अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. (एनसीएल)- अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर), ईडब्लूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्लूबीडी- बेंचमार्क विकलांगता, वीएच- कम दृष्टि वाले दृष्टि-बाधित, एचएच- बधिर एवं कम सुनने वाले, ईएसएम- भूतपूर्व सैनिक।

**तकनीशियन-1/ ग्रुप-II (1) पदों के संबंध में आवश्यक योग्यता निम्नानुसार हैं:**

| पोस्ट कोड | कार्य क्षेत्र | अनिवार्य अर्हता | वर्ग सहित पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2026/ 001 | इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **इंस्ट्रूमेंट मेकानिक्स** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 03<br>(अना.: 01, ईडब्लूएस: 01 एवं अ.ज.जा.: 01) |
| 2026/ 002 | सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **सर्वे/ सर्वेयर/ सर्वेयिंग** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 03<br>(अना.: 01, ईडब्लूएस: 01 एवं अ.ज.जा.: 01) |
| 2026/ 003 | फिटर | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **फिटर** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **फिटर** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **फिटर** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 05<br>(अना.: 02, अ.जा.: 01 एवं अ.ज.जा.: 02)<br><br>उपरोक्त में से एक पोस्ट पीडब्लूबीडी (वीएच) के लिए आरक्षित है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026/ 004 | वेल्डर | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **वेल्डर** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **वेल्डर** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **वेल्डर** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 02<br>(अना.: 01 एवं अ.ज.जा.: 01) |
| 2026/ 005 | कार्पेंटर | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **कार्पेंटर** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **कार्पेंटर** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **कार्पेंटर** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 01<br>(अ.पि.व.: 01) |
| 2026/ 006 | इलेक्ट्रिशियन | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **इलेक्ट्रिशियन** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था **इलेक्ट्रिशियन** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **इलेक्ट्रिशियन** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 07<br>(अना.: 03, ईडब्लूएस:01 एवं अ.ज.जा.: 03)<br><br>उपरोक्त में से एक पोस्ट ईएसएम और एक पोस्ट<br>पीडब्लूबीडी (एचएच) के लिए आरक्षित है। |
| 2026/ 007 | वायरमैन | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **वायरमैन** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **वायरमैन** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त | 01<br>(अ.पि.व.: 01) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | निकाय में **वायरमैन** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | |
| **2026/ 008** | **रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)** | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी)** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 02<br>(अना.: 01 एवं अ.ज.जा.: 01) |
| **2026/ 009** | **ड्राफ्ट्समैन (सिविल)** | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **ड्राफ्ट्समैन सिविल** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **ड्राफ्ट्समैन सिविल** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **ड्राफ्ट्समैन सिविल** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 01<br>(ईडब्लूएस: 01) |
| **2026/ 010** | **ऑटोमोबाइल /<br>मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)** | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **ऑटोमोबाइल / मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **ऑटोमोबाइल/ मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **ऑटोमोबाइल/ मेकानिक मोटर वेहिकल (एमएमवी)** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 02<br>(अना.: 01 एवं अ.ज.जा.: 01)<br><br>उपरोक्त में से एक पोस्ट ईएसएम के लिए आरक्षित है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2026/ 011** | **ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक** | विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक** में आटीआई प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय ट्रेड प्रमाण-पत्र।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से **ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक** में अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में 2 साल का पूर्णकालिक अनुभव।<br>अथवा<br>विज्ञान विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ एसएससी/ 10वीं कक्षा/ या समकक्ष परीक्षा में पास और भारत सरकार/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के तहत किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय में **ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक** में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। | 03<br>(ईडब्लूएस: 01,<br>अ.जा.: 01,<br>अ.ज.जा.: 01)<br><br>उपरोक्त में से एक पोस्ट ईएसएम के लिए आरक्षित है। |

1. **आयु सीमा एवं छूट:**

क. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः 18 वर्ष एवं 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांगजन (पीडब्लूबीडी) स्थिति अथवा शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु सीमा में छूट आदि जैसे अन्य किसी लाभ (जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट न हो) के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **19-06-2026** होगी।

ख. भारत सरकार/ सीएसआईआर के प्रचलित नियमों/ दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार है:

| **क्र. सं.** | **श्रेणी** | **ऊपरी आयु सीमा से परे अनुमत आयु में छूट** |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अ.जा./ अ.ज.जा.) | 05 वर्ष |
| 2. | अन्य पिछड़ा वर्ग – गैर-क्रिमी लेयर (अ.पि.व. -एनसीएल) | 03 वर्ष |
| 3. | दिव्यांगजन (अना.) | 10 वर्ष |
| 4. | दिव्यांगजन (अ.पि.व.) | 13 वर्ष |
| 5. | दिव्यांगजन (अ.जा./ अ.ज.जा.) | 15 वर्ष |
| 6. | विभागीय उम्मीदवार (सीएसआईआर परिषद् के कर्मचारी)/ सरकारी विभाग/ स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारी | 05 वर्ष |
| 7. | भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/ सामान्य) | भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधित आदेशों के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वास्तविक आयु में से किए गए वास्तविक सैन्य सेवा अवधि की कटौती करने के बाद **3** वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। |
| 8. | पूर्व सैनिक (अ.पि.व./ अ.जा./ अ.ज.जा.) | भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधित आदेशों के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वास्तविक आयु में से किए गए वास्तविक सैन्य सेवा अवधि की कटौती करने के बाद |

| | | |
|---|---|---|
| | | क्रमशः **6/ 8/ 8** वर्षों की अतिरिक्त छूट होगी। |
| ग्रुप 'C' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुमत छूट | | |
| 9. | विधवाएँ/ तलाकशुदा महिलाएँ/ विधिक रूप से अलग हुई महिलाएँ और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो | 35 वर्ष तक |
| 10. | विधवाएँ/ तलाकशुदा महिलाएँ/ विधिक रूप से अलग हुई महिलाएँ और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो (अ.पि.व.) | 38 वर्ष तक |
| 11. | विधवाएँ/ तलाकशुदा महिलाएँ/ विधिक रूप से अलग हुई महिलाएँ और जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो (अ.जा./ अ.ज.जा.) | 40 वर्ष तक |

ग. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) के उम्मीदवार जो सामान्य (यूआर) पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

घ. अ.पि.व. आरक्षण के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि उसके पास जाति/ समुदाय प्रमाण पत्र हो और वह महत्वपूर्ण तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **19-06-2026** को क्रिमी लेयर में न आता हो। अ.पि.व. उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। अ.पि.व. उम्मीदवार क्रिमी लेयर से संबंधित नहीं होने चाहिए। उनकी उप-जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में दर्ज प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; यदि ऐसा नहीं है, तो उनका आवेदन किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत मान्य नहीं होगा और अन्यथा योग्य होने पर उन्हें सामान्य (यूआर) श्रेणी में माना जाएगा।

ङ. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के संबंध में विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं, जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट (सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए 38 वर्ष तक) प्रदान की जाती है। इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाली महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

i. विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा इस आशय का शपथ-पत्र कि उसने उसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii. तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पतियों से न्यायिक रूप से पृथक हुई महिलाओं के मामले में, तलाक अथवा न्यायिक पृथक्करण (जो भी लागू हो) को सिद्ध करने हेतु संबंधित सक्षम न्यायालय के निर्णय/ डिक्री की प्रमाणित प्रति। इसके अतिरिक्त, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में इस आशय का शपथ-पत्र कि उन्होंने उसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है।

च. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt.(Res.) दिनांक 31.01.2019 तथा इस संबंध में भारत सरकार/ सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी अन्य लागू निर्देशों के अनुसार, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के समय विनियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ईडब्लूएस अभ्यर्थियों द्वारा आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्णायक/ कट-ऑफ तिथि, उक्त पद हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक/ कट-ऑफ तिथि के पश्चात् तथा बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

छ. इसके अतिरिक्त, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। उदाहरणतः, यदि किसी पद हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त, 2026 है, तो परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष 2025–2026 होगा तथा प्रमाण-पत्र 2026–2027 के लिए वैध होगा।

ज. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्लूबीडी) के लिए आरक्षण: (हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण)

i. भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित बेंचमार्क दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि निर्णायक तिथि पर अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। श्रेणी A – दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टि; श्रेणी B – बधिर एवं

कम सुनने वाले; श्रेणी C –सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, ऐसिड हमले के पीड़ित व्यक्ति तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिविषयक दिव्यांगता; श्रेणी D – ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता तथा मानसिक रोग; श्रेणी E – बधिर/ दृष्टिहीनता सहित श्रेणी (A) से (D) के अंतर्गत आने वाली एकाधिक दिव्यांगताएँ। ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए उनकी आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट सहित अधिकतम 15 वर्ष की आयु छूट प्राप्त होगी। इसी प्रकार, अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.) के अभ्यर्थियों को उनकी श्रेणी हेतु निर्धारित 3 वर्ष की आयु छूट सहित अधिकतम 13 वर्ष तक की आयु छूट प्राप्त होगी।

ii. इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि शारीरिक दिव्यांगता की मात्रा 40% या उससे अधिक है। जिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्लूबीडी) ने आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18(1) के फॉर्म V, VI एवं VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिनांक 15.06.2017) प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (जिसे अब निरस्त किया जा चुका है) के अंतर्गत जारी किए गए वर्तमान दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध बने रहेंगे। किसी भी स्थिति में, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा चयन के माध्यम से भरे जाने वाले प्रत्येक अलग-अलग ग्रुप 'सी' पद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय फिटनेस मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने की शर्त के अधीन होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क देय नहीं होगा।

iii. दिव्यांग व्यक्तियों को आयु सीमा में दी जाने वाली छूट इस बात से निरपेक्ष रूप से अनुमन्य होगी कि वह पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि वह पद संबंधित दिव्यांगता श्रेणी के लिए उपयुक्त के रूप में चिह्नित किया गया हो।

iv. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 18-25/ 2024-Policy, दिनांक 17.12.2025 के अनुसार:

a. अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावना वाली" के रूप में वर्गीकृत दिव्यांगता स्थितियाँ आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगी।

b. अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "प्रगतिशील, अप्रगतिशील अथवा सुधार की संभावना नहीं होने वाली" के रूप में वर्गीकृत दिव्यांगता स्थितियाँ आरक्षण के लिए पात्र मानी जाएँगी।

v. पीडब्लूबीडी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में अपनी जाति/ समुदाय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा, जैसे कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/ सामान्य/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा संबंधित जाति/ समुदाय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि यह हॉराईज़ॉन्टल आरक्षण है। पीडब्लूबीडी श्रेणी के अंतर्गत आने वाला कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा, जब वह आवेदित पदों के लिए शारीरिक एवं चिकित्सकीय मानकों (नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक जाँच के उपरांत) की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

vi. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामलों में, प्रतिपूरक समय तथा लेखक (स्क्राइब)/ पैसेज डिक्टेटर संबंधी सुविधाएँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. 34-02/ 2015-DD-III दिनांक 29.08.2018 एवं शुद्धिपत्र सं. 34-02/ 2015-DD-III (भाग) दिनांक 08.02.2019 के माध्यम से जारी निर्देशों, जिन्हें सीएसआईआर द्वारा दिनांक 15.03.2019 को पृष्ठांकित किया गया है, के अनुसार होंगी।

झ. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण: (हॉरिजॉन्टल आरक्षण)

i. भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा अवधि को घटाने के पश्चात् 03 (तीन) वर्ष की छूट उपलब्ध होगी।

ii. वे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन हेतु प्रदान किए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए सरकार के अधीन सिविल पक्ष में ग्रुप 'सी एवं/ अथवा ग्रुप 'डी' पदों पर नियमित आधार पर पहले

ही नियुक्ति प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण तथा शुल्क में छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

iii. तथापि, ऐसे अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक के रूप में आगामी रोजगार हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने प्रारंभिक सिविल सेवा में नियुक्ति ग्रहण करने के तुरंत पश्चात्, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/1/2014-Estt.(Res) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित नियोक्ता को उन विभिन्न रिक्तियों के लिए किए गए आवेदनों का तिथि-वार विवरण दर्शाते हुए स्व-घोषणा/ प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया हो, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नियुक्ति से पूर्व आवेदन किया था।

iv. नियमों के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक की सशस्त्र बलों में की गई "कॉल-अप सेवा" की अवधि को भी आयु में छूट के प्रयोजन हेतु सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

v. संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सेवारत कर्मी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक माना जाने हेतु यह आवश्यक होगा कि संबंधित पद/ सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय उसने पहले से ही भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो अथवा वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजी प्रमाण के माध्यम से यह सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों से निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

vi. "भूतपूर्व सैनिक" शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं एवं पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) तथा भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिनांक 27.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/ 3/ 2021-Estt.(Res.II) के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं: "सशस्त्र बलों में कार्यरत अभ्यर्थी तभी सिविल पदों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जब वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/ परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेते हों। तथापि, यदि चयन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक का समय लगता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के पश्चात् सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति प्राप्त की है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा।" ऐसे अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक नियमों के अनुसार निर्धारित प्रमाण-पत्र होना भी अनिवार्य होगा।

vii. स्पष्टीकरण: "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है:

अ. जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक पर—चाहे उसने लड़ाकू (कॉम्बैटेंट) हो या गैर-लड़ाकू (नॉन-कॉम्बैटेंट)—सेवा की हो, तथा—(i) जिसने पेंशन अर्जित करने के पश्चात्, अपनी इच्छा से अथवा जिसे नियोक्ता द्वारा सेवा से सेवानिवृत्त, मुक्त अथवा पदमुक्त किया गया हो; अथवा (ii) जिसे सैन्य सेवा से संबंधित कारणों अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सकीय अथवा अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो; अथवा (iii) जिसे संगठन/ स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप सेवा से मुक्त किया गया हो; अथवा

आ. जिसे अपनी स्वयं की इच्छा के अतिरिक्त, अथवा दुराचार या अक्षमता के कारण बर्खास्त/ पदमुक्त नहीं, बल्कि निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् उक्त सेवा से मुक्त किया गया हो तथा ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो; तथा इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक अर्थात् निरंतर समाहित सेवा अथवा अर्हक सेवा की खंडित अवधियों के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मी भी सम्मिलित होंगे ; अथवा

इ. सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं तथा बिना अपनी मूल सेवा में प्रतिवर्तन किए, पेंशन सहित सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों; अथवा जिन्हें सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न हुई या बिगड़ गई स्थितियों के चलते चिकित्सा कारणों से या उनके

नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उन्हें सेना डाक सेवा से मुक्त किया गया हो तथा जिन्हें चिकित्सकीय अथवा अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो; अथवा

ई. वे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; अथवा

उ. प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता; अथवा

ऊ. चिकित्सकीय आधार पर सेवा से पृथक किए गए अथवा मुक्त किए गए तथा चिकित्सकीय दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व-नियुक्त कार्मिक। कोई मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित है जिसने भारतीय थल सेना का विशेष शैक्षणिक प्रमाण-पत्र अथवा नौसेना या वायु सेना का समकक्ष प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो), जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, केवल ईएसएम के लिए आरक्षित ग्रुप 'सी' पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। अतः वे मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, ऐसे पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।

ऋ. भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों एवं आश्रितों के लिए आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं होगी।

ञ. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ अन्य पिछड़ा वर्ग- गैर-क्रीमी लेयर (अ.पि.व.-एनसीएल)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस)/ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्लूबीडी)/ भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की एक प्रति को ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर द्वारा सत्यापन हेतु माँगे जाने पर प्रस्तुत किए जाने होंगे। इन सभी प्रमाण-पत्रों की सत्यता स्थापित होने तक अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता/ नियुक्ति अस्थायी (प्रोविजनल) रहेगी।

ट. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्लूबीडी)/ भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) कोटा के अंतर्गत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को, यथोचित रूप से, उनकी संबंधित श्रेणी—अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनारक्षित (यूआर) की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

ठ. आयु सीमा में अन्य कोई भी छूट भारत सरकार/ सीएसआईआर की मौजूदा भर्ती नियमावली के अनुसार लागू होगी।

## 2. <u>सामान्य सूचनाएँ एवं शर्तें</u>

### I. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

अ. इन पदों पर सामान्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) आदि, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य हैं तथा सीएसआईआर में लागू हैं, देय होंगे। परिषद के कर्मचारी सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली-2022 के अनुसार अपने पात्रता वर्ग के आवास हेतु भी पात्र होंगे।

आ. प्रत्येक श्रेणी के पदों के समक्ष दर्शाए गए वेतन/ परिलब्धियों के अतिरिक्त, सीएसआईआर में समय-समय पर लागु नियमों के अनुसार नेशनल पेंशन प्रणाली, 2004, चिकित्सकीय व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, वाहन अग्रिम तथा गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ भी उपलब्ध होंगे।

इ. सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत, सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों पर लागू सीमा तक, शासित होंगे। तथापि, अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित वे व्यक्ति, जिन पर भारत सरकार के पैटर्न पर पेंशन योजना लागू है, वे पूर्ववर्ती पेंशन योजना अर्थात् सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब–2021) के अंतर्गत ही शासित होते रहेंगे।

ई. सामान्यतः नियुक्ति का स्थान सीएसआईआर–सीआईएमएफआर, डिगवाडीह एवं धनबाद होगा, जिसमें इसके क्षेत्रीय केंद्र जैसे बिलासपुर, नागपुर, रांची, रुड़की एवं रानीगंज भी सम्मिलित हैं। तथापि, सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर नियुक्त कर्मचारी को भारत के किसी भी भाग में सीएसआईआर की

किसी भी प्रयोगशाला/ संस्थान में उनके फील्ड केंद्रों/ क्षेत्रीय केंद्रों सहित किसी भी अनुभाग/ प्रभाग में कार्य करने हेतु तैनात किया जा सकता है।

उ. सीएसआईआर योग्य अभ्यर्थियों को मूल्यांकन पदोन्नति योजना के अंतर्गत करियर उन्नयन के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

ऊ. उक्त पदों पर नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 (समय-समय पर संशोधित) तथा परिषद सेवक पर लागू किए गए अन्य सेवा नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में सीएसआईआर का निर्णय ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

**II. अन्य शर्तें/ जानकारियाँ:**

क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख. सभी आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् **19-06-2026** को पद हेतु निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं तथा विज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम-से-कम अनिवार्य योग्यताओं को धारण करते हैं। पात्रता के संबंध में परामर्श माँगने हेतु किसी भी प्रकार की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. आवेदक को निर्देशों को भली-भाँति पढ़ने के पश्चात् ही सभी प्रासंगिक जानकारियों एवं स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर एवं संबंधित दस्तावेजों सहित विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से ही प्राप्त होनी चाहिए। अपूर्ण आवेदन/ या आवश्यक प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएँगे

घ. अनिवार्य योग्यताओं में उल्लिखित समकक्ष उपबंध के संदर्भ में, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा करता है, तो उसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उस आदेश/ पत्र (जिसमें प्राधिकारी का विवरण, संदर्भ संख्या एवं तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो) को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें उक्त विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के समान माना गया हो, अन्यथा आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

ङ. जहाँ कहीं किसी विषय/ कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि निर्धारित की गई हो, वहाँ उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के पश्चात् की अनुभव अवधि ही मान्य होगी। अंशकालिक, दैनिक मजदूरी आधार पर अथवा विज़िटिंग/ गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभ्यर्थी द्वारा अर्जित अनुभव को पद हेतु वैध अनुभव की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

च. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं तथा केवल इन्हें धारण करना ही अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट हेतु बुलाए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपने स्वयं के मापदंड अपनाएगी। अतः अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक, संबंधित क्षेत्र में प्राप्त सभी योग्यताओं एवं अनुभव का उल्लेख करना चाहिए तथा **10वीं** कक्षा से आगे के सभी दस्तावेज प्रमाण स्वरूप अपलोड करने चाहिए। यदि आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और अपलोड किए गए प्रमाण-पत्रों/ प्रशंसापत्रों आदि के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी का आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा उस अभ्यर्थी को इस संस्थान में आगे किसी भी प्रकार का आवेदन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

छ. यदि प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी दस्तावेज़/ प्रमाण-पत्र हिंदी या अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा में है, तो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित उसकी हिंदी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में अनुदित प्रतिलिपि को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ज. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्मतिथि तथा मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को ही आयु निर्धारण हेतु सीएसआईआर द्वारा मान्य किया जाएगा तथा बाद में जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल / उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र अथवा जन्म पंजी से उद्धरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

झ. उम्मीदवार को ट्रेड/ प्रतियोगी लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

ञ. चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान अन्य किसी संस्था में अथवा सीएसआईआर/ सिम्फर में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, और यदि उन्होंने पहले से ही किसी अन्य संस्था में किसी पद के लिए आवेदन किया हुआ है, तो उन्हें इस संस्थान में नियुक्ति होने के तुरंत बाद ही ऐसे आवेदन के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना पड़ेगा।

ट. सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-सिम्फर इस विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों में संशोधन करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार रखते हैं।

ठ. चयनित उम्मीदवार अपना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

ड. पात्रता, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना, चयन पद्धति और परीक्षा का संचालन जैसे सभी मामलों में सीएसआईआर-सिम्फर, धनबाद का निर्णय ही उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। संस्थान के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि परिस्थितियों की ऐसा मांग हो तो किसी भी विज्ञापित पद/ पदों को नहीं भी भरा जा सकता है। इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी के पूछताछ या पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ढ. किसी भी प्रकार का कैनवसिंग करना और/ या राजनीतिक या अन्य किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना इस पद के लिए अयोग्यता के रूप में माना जाएगा।

ण. अनुभव दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेज़ों में अनुभव की अवधि दिन/ महीना/ साल के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए।

त. ऊपर दर्शायी गई रिक्तियों की संख्या वास्तविक चयन के समय बढ़ या घट सकती है। चयन प्रक्रिया उस समय के सीएसआईआर/ भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार विभिन्न चयन चरणों में लागू होगी।

थ. आवेदकों को आवेदन पत्र में यह खुलासा करना अनिवार्य है कि क्या उनके किसी निकट या रक्त संबंधी सीएसआईआर-सिम्फर, सीएसआईआर या सीएसआईआर के किसी अन्य प्रयोगशाला/ संस्थान में कर्मचारी हैं।

द. किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ध. कोई भी परिशिष्ट/ शुद्धि-पत्र/ सूचना केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.cimfr.res.in पर ही प्रकाशित की जाएगी।

न. **यदि इस विज्ञापन के अंग्रेज़ी संस्करण और उसके हिंदी अनुवाद में कोई अंतर हो, तो अंग्रेज़ी संस्करण को मान्यता दी जाएगी।**

**3. चयन प्रक्रिया:**

क. इस उद्देश्य के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित किए जाने वाले उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में तीन पेपर (पेपर-I, पेपर-II और पेपर-III) होंगे। पेपर-II और पेपर-III का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर-I में न्यूनतम अंक (जो चयन समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे) प्राप्त करेंगे। अंतिम मेरिट सूची केवल पेपर-II और पेपर-III में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी।

ख. संबंधित ट्रेडों के ट्रेड टेस्टों और प्रतियोगी लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम समय आने पर संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.cimfr.res.in पर सूचित कर दिए जाएँगे।

क. लिखित परीक्षा (जिसमें मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेज़ी भाषा और संबंधित विषय से संबंधित तीन पेपर शामिल होंगे) के लिए संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:-

**प्रतियोगी लिखित परीक्षा की स्कीम:**

| | |
|---|---|
| **परीक्षा पद्धति** | ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा |
| **प्रश्नों का माध्यम** | अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर, सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेट किए जाएँगे। |
| **परीक्षा का स्तर** | एसएससी + आईटीआई/ बारहवीं कक्षा |
| **प्रश्नों की कुल संख्या** | 150 |
| **कुल आबंटित समय** | 2 घंटे 30 मिनट |

**पेपर-I (आबंटित समय – 1 घंटा)**

| विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | नेगेटिव अंक |
|---|---|---|---|
| मेंटल एबिलिटी टेस्ट (जिसमें जेनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव ऐप्टीट्यूड, रीज़निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट आदि शामिल हैं) | 50 | 100 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक) | इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। |

**पेपर-II (आबंटित समय – 30 मिनट)**

| विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | नेगेटिव अंक |
|---|---|---|---|
| सामान्य ज्ञान | 25 | 75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | हर गलत जवाब के लिए एक नेगेटिव मार्क। |
| अंग्रेजी भाषा | 25 | 75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | हर गलत जवाब के लिए एक नेगेटिव मार्क। |

**पेपर-III (आबंटित समय – 1 घंटा)**

| विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | नेगेटिव अंक |
|---|---|---|---|
| संबंधित विषय* | 50 | 150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | हर गलत जवाब के लिए एक नेगेटिव मार्क। |

***** संबंधित विषय पद के लिए विज्ञापित की गई योग्यता पर आधारित है।

- अंतिम मेरिट सूची केवल उम्मीदवारों द्वारा पेपर-II और पेपर-III में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में समानता (Tie) होने की स्थिति में, सीएसआईआर के परिपत्र पत्र संख्या 5-1(211)/2014-PD दिनांक 30.05.2023 के अनुसार, निम्नलिखित मानदंडों को नीचे दिए गए वरीयता क्रम में लागू करते हुए मेरिट निर्धारित की जाएगी, जब तक कि समानता समाप्त न हो जाए:

  i. संबंधित विषय/ट्रेड के प्रश्नपत्रों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
  ii. लिखित परीक्षा के उन प्रश्नपत्रों में (जिन्हें मेरिट तैयार करने हेतु विचार किया गया है) कम ऋणात्मक अंक (Negative Marks), यदि लागू हो, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।

ii. लिखित परीक्षा के उन प्रश्नपत्रों में (जिन्हें मेरिट तैयार करने हेतु विचार किया गया है) कम ऋणात्मक अंक (Negative Marks), यदि लागू हो, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
iii. जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
iv. आवश्यक डिग्री पहले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
v. अभ्यर्थियों के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी।

- उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट और लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान उपयुक्त समय पर सीएसआईआर-सिम्फर की वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएगी।

## 4. आवेदन कैसे करें

**उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही 20-05-2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 19-06-2026 (सायं 05:00 बजे) तक आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

**ऑनलाइन आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) जमा करने की अंतिम तिथि: 19-06-2026 (सायं 05:00 बजे)**

### क. आवेदन पंजीकरण

i. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट cimfr.res.in/applyonline या www.cimfr.res.in पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
ii. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
iii. उम्मीदवारों को अपने हित में अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है तथा अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक भार होने के कारण डिस्कनेक्शन / लॉगिन न हो पाने / असफलता जैसी समस्याओं से बचा जा सके। उपरोक्त कारणों अथवा CSIR-CIMFR के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से यदि उम्मीदवार अंतिम तिथि तक आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए CSIR-CIMFR उत्तरदायी नहीं होगा।
iv. उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने हेतु अपने ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। यदि उम्मीदवार के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे आवेदन से पूर्व नया वैध ई-मेल आईडी बनाना होगा। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में अपना सही एवं सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि CSIR-CIMFR द्वारा संचार इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है। पंजीकृत ई-मेल भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रहना चाहिए।
v. सफल पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर लॉगिन करना होगा तथा प्राथमिक पंजीकरण विवरण भरना होगा। प्राथमिक विवरण भरने के बाद उम्मीदवार विवरण की जाँच/संशोधन कर सकता है ताकि आवेदन पूर्ण एवं सही हो। एक बार जमा किए गए प्राथमिक विवरण में बाद में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद उम्मीदवार पोस्ट कोड का चयन कर संबंधित पद हेतु आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी विवरण भरकर सभी आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करेगा। अंतिम जमा करने से पूर्व उम्मीदवार आवेदन की पुनः जाँच कर सकता है। आवेदन शुल्क (जहाँ लागू हो) निर्धारित लिंक के माध्यम से जमा कर उसका प्रमाण अपलोड करना होगा। अंततः सभी सहायक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा।
vi. सरकारी विभागों में नियमित/स्थायी पद पर कार्यरत आवेदकों पर तभी विचार किया जाएगा जब उनका आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया हो। ऐसे उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)" ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। दस्तावेज सत्यापन अथवा मांग किए जाने पर मूल NOC प्रस्तुत करना अनिवार्य

होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। CSIR-CIMFR प्रतिनियुक्ति अथवा ग्रहणाधिकार के आधार पर किसी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेगा।

vii. जिन बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI आदि प्रदान किए जाते हैं, उम्मीदवारों को उन्हें अपने बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। संबंधित रूपांतरण सूत्र की प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करनी होगी।

viii. उम्मीदवारों को ₹500/- आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जहाँ लागू हो, ₹500/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क SBI Collect के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क के भुगतान पर लगने वाले बैंक लेनदेन शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे। ऑनलाइन भुगतान का लिंक CSIR-CIMFR वेबसाइट/ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-रसीद/चालान की स्कैन प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित शुल्क (जहाँ लागू हो) के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को भविष्य हेतु इसकी प्रति सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

ix. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/PwBD/महिला/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छुट प्रदान की जाती है।

x. उम्मीदवार एक से अधिक पोस्ट कोड हेतु आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे प्रत्येक पद हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड पूर्ण करते हों। तथापि प्रत्येक पोस्ट कोड हेतु अलग-अलग आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) एवं पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

xi. प्रत्येक पोस्ट कोड हेतु एक उम्मीदवार का केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक ही पोस्ट कोड हेतु विभिन्न ई-मेल आईडी से अनेक आवेदन जमा करता है, तो केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा अन्य आवेदन हेतु जमा आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

xii. अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा निरस्त कर दिए जाएंगे। अतः उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है।

xiii. ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच के अधीन "अस्थायी रूप से स्वीकार" किया जाएगा।

xiv. उम्मीदवार अपने अभिलेख हेतु आवेदन प्रिंटआउट एवं भुगतान विवरण सुरक्षित रखें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ये उपलब्ध नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी CSIR-CIMFR को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

xv. किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन (जैसे फोटो रहित, हस्ताक्षर रहित, शुल्क अथवा संलग्नकों के बिना आवेदन आदि) स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे।

xvi. ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर उम्मीदवार racell.cimfr@csir.res.in पर ई-मेल कर सकते हैं। अंतिम समय की भीड़ से बचने हेतु उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यथाशीघ्र ऑनलाइन शुल्क (यदि लागू हो) जमा कर आवेदन करें। इस प्रक्रिया से संबंधित सभी आगामी घोषणाएँ/अपडेट/शुद्धिपत्र/परिशिष्ट आदि केवल CSIR-CIMFR की आधिकारिक वेबसाइट CSIR-CIMFR Official Website पर समय-समय पर प्रकाशित किए जाएंगे।

**आवेदन शुल्क (₹500/-) जमा करने की प्रक्रिया**

क. SBI Collect पोर्टल पर जाएँ: https://onlinesbi.sbi.bank.in/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=377003

ख. SBI Collect पेज पर जाने के उपरांत के बाद भुगतान श्रेणी में **"Recruitment Application Fee"** का चयन करें।

ग. आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें:
- आवेदन का प्रकार : **For Regular Recruitment**
- उम्मीदवार का नाम
- पता
- विज्ञापन संख्या
- पोस्ट कोड
- अन्य अनिवार्य विवरण

घ. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ₹500/- का भुगतान पूरा करें।

ङ. सफल भुगतान के बाद ई-रसीद/भुगतान पुष्टि डाउनलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखें। भुगतान विवरण आवेदन पत्र में भी दर्ज करना होगा तथा ई-रसीद को दस्तावेज अपलोड अनुभाग में अपलोड करना होगा।

**ख. ऑनलाइन आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की चिह्नांकन-सूची**

i. ₹500/- आवेदन शुल्क की SBI Collect ई-रसीद/लेनदेन संदर्भ की मुद्रित प्रति (जहाँ लागू हो)।

ii. नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर अपलोड किया हुआ।

iii. उम्मीदवार के हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड किए हुए।

iv. SSC/10वीं कक्षा अथवा समकक्ष अंकपत्र/प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अथवा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।

v. नाम परिवर्तन/नाम में असमानता/उम्मीदवार या अभिभावकों के नाम में भिन्नता के समर्थन में राजपत्र अधिसूचना/शपथपत्र (यदि लागू हो)।

vi. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं उच्चतर योग्यता के समर्थन में शैक्षणिक प्रमाणपत्र एवं/अथवा अंकपत्र।

vii. प्रासंगिक अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ (यदि कोई हो)।

viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/PwBD प्रमाणपत्र की प्रति, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, यदि लागू हो।

ix. OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों द्वारा "घोषणा प्रपत्र" की प्रति, जिसमें यह प्रमाणित हो कि वे पिछली तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर OBC (क्रीमी लेयर) श्रेणी में नहीं आते।

x. CSIR/सरकारी संगठन/स्वायत्त निकाय/वैधानिक निकाय/विश्वविद्यालय/PSU आदि में नियमित/स्थायी रूप से कार्यरत उम्मीदवारों हेतु नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)" की प्रति।

xi. आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हों।

नोट 1 : अपलोड किए गए दस्तावेज/प्रमाणपत्र स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिए।

नोट 2 : आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन अपूर्ण माना जाएगा तथा सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट 3 : उम्मीदवारों को उपयुक्त समय पर मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं-सत्यापित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

नोट 4 : पात्रता, आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने तथा ट्रेड टेस्ट/लिखित परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ह/-

प्रशासन नियंत्रक

**अनुलग्नक- I**

## सीएसआईआर/ सरकारी संस्थाओं/ स्वायत्त निकायों/ वैधानिक निकायों/ विश्वविद्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में वर्तमान में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी के नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' का प्रारूप

(**संस्था/ जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र-शीर्ष**)

**सं.** ............ **दिनांक:** [दिन/ माह/ वर्ष]

### विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] के लिए आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./ श्री/ सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/ संस्था के/ की स्थायी/ नियमित कर्मचारी हैं तथा [उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि] से [वर्तमान पद] के रूप में सेवाएँ प्रदान कर रहे/ रही हैं।

इस विभाग/ संस्था को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन दिनांक] के अंतर्गत [पद कोड/ पदनाम] पद के लिए उनके आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/ संस्था को डॉ./ श्री/ सुश्री [कर्मचारी का नाम] के नए पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने अथवा विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./ श्री/ सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] को वर्तमान में लागू आचरण नियमों के अंतर्गत कोई भी शास्ति प्राप्त नहीं हैं तथा इस प्रमाण-पत्र के जारी करने की तिथि तक न ही वह निलंबन के अधीन है और न ही उनके विरुद्ध कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक अथवा आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण-पत्र आवेदक के अनुरोध पर उक्त विज्ञापन के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है।

**स्थान** : .......................

**[विभाग/ संगठन का नाम],**<br>
[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]<br>
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]<br>
[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]<br>
[आधिकारिक मुहर/ सील]<br>
[संपर्क जानकारी]<br>
[विभाग/ संस्था का पता]

**अनुलग्नक- II**

## <u>आयु सीमा में छूट का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र</u>

**(संस्था/ जारीकर्ता प्राधिकरण का पत्र-शीर्ष)**

**सं..............** **दिनांक:** [दिन/ माह/वर्ष]

## <u>विज्ञापन संख्या के लिए आवेदन करने हेतु आयु में छूट का दावा करने संबंधी प्रमाण-पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./ श्री/ सुश्री ...................................................................., सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी श्री ............................................................ (संस्थान का नाम) के/ की नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं तथा उनके द्वारा इन अवधि(यों) के दौरान किए गए कार्य निम्न प्रकार हैं :

क. ......................................................................

ख. ......................................................................

ग. ......................................................................

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) डॉ./ श्री/ सुश्री ........................................................................... दिनांक ......................... से .......................... तक ................................... (संस्थान का नाम) में वास्तविक रूप से ..................................................... के स्थायी पद पर कार्यरत हैं।

अथवा

*(ख) डॉ./ श्री/ सुश्री ........................................................................................ दिनांक ......................... से .......................... तक ....................................... (संस्थान का नाम) में नियमित आधार पर ...................................................... के अस्थायी पद पर कार्यरत हैं।

** अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।*

**स्थान : .......................**

**[संस्थान का नाम]**

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/ सील]

## भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी* ......................................................, पुत्र/ पुत्री* ......................................................, ग्राम/ नगर* ..................................................., जिला/ मंडल* ..............................., राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* ..................................... के ........................................ जाति/ जनजाति* से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
@ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
@संविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
@संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
@संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
@संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
@अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

%2. यह उन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लागू है जो एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण-पत्र उस अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो श्री/ श्रीमती/ कुमारी* ................................................ के पिता/ माता श्री/ श्रीमती ............................................., जो

कि......................................राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश* के ...................................., जिले/ मंडल* के ................................ गाँव/ कस्बे/ इलाके** के निवासी हैं, को जारी किया गया था और जो उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त जाति/ जनजाति* के अंतर्गत आते हैं। मूल प्रमाण-पत्र .......................................... द्वारा दिनांक ........................* को जारी किया गया था।

%3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी* ........................................... और/ या उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/ नगर* ............................................, जिला/ मंडल* ............................................, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश* ............................................ में निवास करता है।

हस्ताक्षर.................................................

**पदनाम.............................................।

(कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश *

स्थान :... ........................ .......

दिनांक :... ....................... .....

* जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें।
@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो, उसे काट दें।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही-अर्थ होगा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

****** अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

क. जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट रैंक के नीचे के न हो।
ख. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
ग. राजस्व अधिकारी जोतहसीलदार रैंक के नीचे के न हो।
घ. उस क्षेत्र का सब-डिविज़नल अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी तथा/ अथवा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
ङ. प्रशासक/ विकास अधिकारी प्रशासक के सचिव/ (लक्षद्वीप)।

**टिप्पणी:**

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।

## भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ................................................................., सुपुत्र/ सुपुत्री ................................................., जो ग्राम/ नगर ........................................., जिला/ मंडल ............................................ का/ की निवासी हैं, ............................................ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं. ............................................ दिनांक ............................................* के अंतर्गत एक पिछड़ी श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/ श्रीमती/ कुमारी ............................................ तथा/ अथवा उनका परिवार सामान्यतः ............................................ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के ............................................ जिले/ मंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 08 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/ 22/ 93-स्था.(एससीटी), दिनांक 09 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.(आरक्षण), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 1/ 2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।**

हस्ताक्षर____________________

पदनाम__________________________$

दिनांक:

मुहर

* प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संबंधित संकल्प का विवरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

** समय-समय पर यथासंशोधित

$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची वही होगी, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत हैं।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त “सामान्यतः” शब्द का वही अर्थ होगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निर्धारित है।

## ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा प्रपत्र

(समुदाय प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त)

मैं, ................................................, सुपुत्र/ सुपुत्री श्री/ श्रीमती................................................, निवासी ग्राम/ नगर/ शहर ................................................, जिला ................................................, राज्य ................................................ एतद् द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं ............................................ समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.09.1993 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36102/ 22/ 93-स्था.(एससीटी) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3, दिनांक 09 मार्च 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.(आरक्षण) एवं दिनांक 14 अक्टूबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/ 3/ 2004-स्था.(आरक्षण) एवं समय-समय पर यथासंशोधित ज्ञापनों में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमी लेयर) में नहीं आता/ आती हूँ।

मैं यह भी बताता/ बताती हूँ कि मेरे माता-पिता/ गार्जियन की क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के लिए अवस्था/ वार्षिक आय की स्थिति आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर हैं।

हस्ताक्षर______________________________

पूरा नाम____________________________

पता ___________________________________

स्थान: ___________________________

दिनांक : ___________________________

**फॉर्म –V**

**<u>दिव्यांगता प्रमाण-पत्र</u>**

**<u>(अंग-विच्छेदन अथवा अंगों के पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन तथा दृष्टिहीनता के मामलों में)</u>**

[नियम 18(1) देखें]

**(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)**

| |
|---|
| दिव्यांग व्यक्ति के हाल ही के पासपोर्ट आकार का सत्यापित (केवल चेहरा दर्शाने वाला) फोटोग्राफ |

प्रमाणपत्र सं. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी ______________________________ सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री श्री ____________________ जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष) __________________ आयु _________ वर्ष, पुरुष/ महिला ______________, पंजीकरण सं. _________________, स्थायी निवासी, मकान संख्या _________________, वार्ड/ ग्राम/ सड़क ________________, डाकघर _______________, जिला _________________, राज्य _______________, जिनका फोटो उपरोक्त चिपकाया गया है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि वे:

(क)

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

से पीड़ित हैं। - (कृपया लागू विकल्प पर टिक करें)

(ख) उनके मामले में निदान ___________________ है।

(ग) दिशा-निर्देश (_____________यहाँ दिशा-निर्देश की संख्या एवं दिनांक को निर्दिष्ट करें) के अनुसार उनके शरीर के ______________ (भाग) का __________ % (अंकों में) __________________________प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/ बौनापन/ दृष्टिहीनता से पीड़ित है।

2. आवेदक द्वारा आवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:-

| दस्तावेज़ का प्रकार | जारी करने की तिथि | प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण |
|---|---|---|
| | | |

(प्रमाणित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर/ सील)

| |
|---|
| जिस व्यक्ति के पक्ष में यह दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान |

**फॉर्म – VI**

**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र**

**(एकाधिक दिव्यांगताओं के मामलों में)**

[नियम 18(1) देखें]

**(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)**

| |
|---|
| दिव्यांग व्यक्ति के हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित (केवल चेहरा दर्शाने वाला) फोटोग्राफ |

प्रमाण-पत्र सं. : दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री ............................................................ के पुत्र/ पत्नी/ पुत्री, श्री/ श्रीमती/ कुमारी ........................................................., जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष), आयु ......... वर्ष, पुरुष/ महिला ................., पंजीकरण सं. ............................................, मकान संख्या ................., वार्ड/ ग्राम/ सड़क ....................., डाकघर ..............................., जिला ...................., राज्य ......................... की स्थायी निवासी, जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया और हम संतुष्ट हैं कि:

क. वह एकाधिक दिव्यांगताओं के/ की शिकार हैं। उनकी स्थायी शारीरिक अपंगता/ दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देश (...................................... संख्या एवं जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है, और यह नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

| **क्रमांक** | **दिव्यांगता** | **प्रभावित शरीर का भाग** | **रोग-निदान** | **स्थायी शारीरिक/ मानसिक विकलांगता (प्रतिशत में)** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गतिविषयक दिव्यांगता | @ | | |
| 2. | मांसपेशीय दुर्विकास | | | |
| 3. | कुष्ठ रोग उपचारित | | | |
| 4. | बौनापन | | | |
| 5. | सेरेब्रल पाल्सी | | | |
| 6. | ऐसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति | | | |
| 7. | कम दृष्टि | # | | |
| 8. | दृष्टिहीनता | # | | |
| 9. | बधिरता | £ | | |
| 10. | श्रवण में कठिनाई | £ | | |
| 11 | वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | बौद्धिक दिव्यांगता | | | |
| 13. | विशिष्ट सीख दिव्यांगता | | | |
| 14. | ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 15. | मानसिक रोग | | | |
| 16. | चिरकालिक तंत्रिका दशाएँ | | | |
| 17. | मल्टीपल स्क्लेरोसिस | | | |
| 18. | पार्किंसंस रोग | | | |
| 19. | हीमोफीलिया | | | |
| 20. | थैलेसेमिया | | | |
| 21. | सिकल सेल रोग | | | |

ख. उपरोक्त के संदर्भ में, उनके/ उनकी स्थायी शारीरिक अपंगता का समग्र मूल्यांकन, दिशा-निर्देश (.............. संख्या एवं जारी करने की तिथि) के अनुसार, निम्नलिखित है :-

अंकों में : ________________ %

शब्दों में : ____________________________________ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/ अप्रगतिशील/ सुधार की संभावना है/ नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) ............... वर्ष .......... माह के पश्चात अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाण-पत्र ............... (दिन)/ (माह)/ (वर्ष) तक ही मान्य रहेगा।

@ उदाहरण के तौर पर - बायाँ/ दायाँ/ दोनों हाथ/ पैर
# उदाहरण के तौर पर - एक आँख
£ उदाहरण के तौर पर - बायां/ दायां/ दोनों कान

4. आवेदक द्वारा निवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:-

| **दस्तावेज़ का प्रकार** | **जारी करने की तिथि** | **प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण** |
|---|---|---|
| | | |

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **सदस्य का नाम और मुहर** | **सदस्य का नाम और मुहर** | **अध्यक्ष का नाम और मुहर** |

| |
|---|
| जिस व्यक्ति के पक्ष में यह दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान |

**फॉर्म – VII**

**<u>दिव्यांगता प्रमाणपत्र</u>**

**<u>(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा दूसरे मामलों में)</u>**

[नियम 18(1) देखें]

**(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)**

| दिव्यांग व्यक्ति के हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित (केवल चेहरा दर्शाने वाला) फोटोग्राफ |
|---|

प्रमाण-पत्र सं. दिनांक :

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/ श्रीमती/ कुमारी ______________________ पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री ______________________ जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष) __________, आयु _______ वर्ष, पुरुष/ महिला, पंजीकरण सं. ______________________, स्थायी निवासी — आवास सं. __________, वार्ड/ ग्राम/ सड़क______________, डाकघर __________, जिला __________, राज्य __________, जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है, की सावधानीपूर्वक चिकित्सीय जाँच की और जाँचोपरांत यह पाया गया है कि उक्त व्यक्ति ______________ दिव्यांगता से ग्रस्त है। उनकी स्थायी शारीरिक अपंगता/ दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिशा-निर्देश (निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है, और यह नीचे दी गई सारणी में संबंधित दिव्यांगता के समक्ष दर्शाया गया है:

| क्रमांक | दिव्यांगता | प्रभावित शरीर का भाग | निदान | स्थायी शारीरिक/ मानसिक विकलांगता (% में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गतिविषयक दिव्यांगता | @ | | |
| 2. | मांसपेशीय दुर्विकास | | | |
| 3. | कुष्ठ रोग उपचारित | | | |
| 4. | सेरेब्रल पाल्सी | | | |
| 5. | ऐसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति | | | |
| 6. | न्यून दृष्टि | # | | |
| 7. | बधिर | £ | | |
| 8. | श्रवण में कठिनाई | £ | | |
| 9. | वाक् एवं भाषा दिव्यांगता | | | |
| 10. | बौद्धिक दिव्यांगता | | | |
| 11 | विशिष्ट सीख दिव्यांगता | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार | | | |
| 13. | मानसिक रोग | | | |
| 14. | चिरकालिक तंत्रिका दशाएँ | | | |
| 15. | मल्टिपल स्क्लेरोसिस | | | |
| 16. | पार्किंसंस रोग | | | |
| 17. | हीमोफीलिया | | | |
| 18. | थैलेसीमिया | | | |
| 19. | सिकल सेल रोग | | | |

(जो दिव्यांगता लागू नहीं है, उसे काट दें।)

2. यह स्थिति प्रगतिशील/ अप्रगतिशील/ सुधार की संभावना है/ नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

   (ii) आवश्यक नहीं है, या

   (iii) ................ वर्ष ........... माह के पश्चात अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाण-पत्र ................ (दिन)/ (माह)/ (वर्ष) तक ही मान्य रहेगा।

   @ उदाहरण के तौर पर - बायाँ/ दायाँ/ दोनों हाथ/ पैर

   # उदाहरण के तौर पर - एक आँख

   £ उदाहरण के तौर पर - बायां/ दायां/ दोनों कान

4. आवेदक द्वारा निवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:-

| **दस्तावेज़ का प्रकार** | **जारी करने की तिथि** | **प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण** |
|---|---|---|
| | | |

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम एवं मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख का (मुहर सहित) प्रतिहस्ताक्षर, यदि प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो सरकारी सेवक नहीं है)

| |
|---|
| जिस व्यक्ति के पक्ष में यह दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान |

नोट: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह केवल उसी स्थिति में वैध होगा जब इस पर संबंधित ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

**विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्लूडी), 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, के लिए प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती .............................................................. (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/ पुत्री ........................................................, जो .................................... (ग्राम/ डाकघर/ थाना/ जिला/ राज्य) का/ की निवासी है, उम्र ................ वर्ष एवं ........................ (दिव्यांगता/ स्थिति की प्रकृति) से ग्रसित है, की जांच की है और जांच के उपरांत यह पाया गया है कि उपर्युक्त दिव्यांगता/ स्थिति के कारण उन्हें लिखने में कठिनाई होती है। अतः उन्हें लिखित परीक्षा के दौरान लेखक (स्क्राइब) की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (उपकरण का नाम उल्लेखित किया जाए) जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो कि उनके लिए लेखक (स्क्राइब) की सहायता के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है।

3. इस प्रमाण-पत्र को केवल भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जा रहा है तथा यह ________________ तक वैध (यह चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अवधि के अनुसार अधिकतम छह माह अथवा उससे कम अवधि के लिए ही मान्य) रहेगा।

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) | (हस्ताक्षर और नाम) |
| आर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ | क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ रिहैबिलिटेशन मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष शिक्षक | न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो) | ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो) | अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो) |
| (हस्ताक्षर और नाम) | | | | |
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.........अध्यक्ष | | | | |

सरकारी अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम एवं आधिकारिक मुहर

स्थान:

दिनांक:

**अनुलग्नक – X**

## <u>सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र</u>

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार (नंबर)__________________ (रैंक) ______________________ (नाम) _______________________________________ दिनांक ____________________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)
कार्यालय की मुहर

स्थान:

दिनांक:

## भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

मैं, ........................................................, अनुक्रमांक ................................, ................................. परीक्षा, 20...... के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होते हुए, एतद्द्वारा यह वचन देता/ देती हूँ कि:

क. मैं समय-समय पर यथासंशोधित पूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के निबंधनों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभों का पात्र हूँ।

ख. मैंने पुनर्नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिकों को प्रदत्त आरक्षण का लाभ उठाने के बाद सिविल पक्ष (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सम्मिलित हैं) में ग्रुप 'सी' और 'डी' के पदों पर नियमित रूप से कोई सरकारी सेवा नहीं की है; अथवा

ग. मैंने सिविल पक्ष में सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उक्त आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक .............................. को ..................................... पद पर .............................................................. कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्द्वारा यह वचन देता/ देती हूँ कि वर्तमान सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही मैंने अपने वर्तमान नियोक्ता को उपर्युक्त परीक्षा हेतु मेरे द्वारा किए गए आवेदन के दिनांकवार विवरण के संबंध में स्व-घोषणा प्रस्तुत कर दिया है; अथवा

घ. मैंने सिविल पक्ष में सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में उक्त आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक .............................. को ..................................... पद पर .............................................................. कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। अतः मैं केवल आयु सीमा में ही छूट का/ की पात्र हूँ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त सभी कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। मैं समझता/ समझती हूँ कि यदि किसी भी स्तर भी मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मेरी अभ्यर्थिता/ नियुक्ति निरस्त/ समाप्त कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर : ........................................

नाम : ........................................

रोल नंबर/ अनुक्रमांक : ........................................

दिनांक : ........................................

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि : ........................................

सेवा निवृत्ति की तिथि : ........................................

अंतिम इकाई/ कॉर्प : ........................................

मोबाइल नंबर : ........................................

ईमेल आईडी : ........................................